न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-661RAAJodhpur2025-184RTA225 Lrs of Bhamararam ors Vs Shridhar etc

भमराराम पुत्र भगवानाराम फौत के कायम मुकाम

1. मोहनलाल पुत्र भमराराम
2. गुलाराम पुत्र भमराराम
3. वासूराम उर्फ़ बसराराम पुत्र भमराराम के कायम मुकामः—
   - 3.1. तेजाराम पुत्र वासुराम
   - 3.2. सुरेन्द्र पुत्र वासुराम
   - 3.3. रविन्द्र पुत्र वासुराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया समझूदेवी
   - 3.4. समझूदेवी पत्नी वासुराम
4. गवरीदेवी पत्नि भमराराम

जातियान गुरडा निवासी अली की ढाणी, देदूसर तहसील चौहटन जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. श्रीधर पुत्र रामा
2. जोधा पुत्र रामा
3. गुणेशा पुत्र रामा
4. दादूराम पुत्र रामा
5. मोहन पुत्र रामा
6. मूलाराम पुत्र देवाराम
7. मोटाराम पुत्र देवाराम
8. छगनलाल पुत्र देवाराम
9. रमेश कुमार पुत्र देवाराम
10. हीराराम पुत्र देवाराम
11. बादलीबाई पुत्री देवाराम
12. जीयाबाई पुत्री देवाराम
13. कमलादेवी पत्नि देवाराम
14. कृष्ण पुत्र जसा
15. दाऊ पुत्र जसा
16. शंकर पुत्र बरजांग
17. मूमलदेवी पत्नि सुखाराम
18. भीमाराम पुत्र सुखाराम
19. रुघाराम पुत्र सुखाराम
20. गेमराराम पुत्र सुखाराम

    जातियान गुरडा निवासी अली की ढाणी, देदूसर तहसील चौहटन जिला बाडमेर।
21. दरिया कुमारी पुत्री भमराराम
22. निरमादेवी पुत्री भमराराम

    जातियान गुरडा निवासी अली की ढाणी, देदूसर तहसील चौहटन जिला बाडमेर।
23. तहसीलदार चौहटन जिला बाडमेर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ आदेश दिनांक 21 नवंबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2021
अनवान श्रीधर बनाम भमराराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री छैलसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक, चार, छः, सोलह
श्री पीराणे खान, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ईक्कीस व बाईस

नि र्ण य

दिनांक : 13 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2021 अनवान श्रीधर बनाम भमराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 नंवबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 02 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से इक्कीस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा अली की ढाणी तहसील चौहटन के खसरा नंबर 348 रकबा 112.2 बीघा में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 567/351 रकबा 35.16 बीघा में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02 दिसंबर 2025 को आवेदन स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर आर आई व हल्का पटवारी ने दिनांक 09.06.2025 को एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते हेतु दो विकल्प बताये गये है, जिसमें खसरा 567/351 में नक्शा में बरंग लाल दर्शाया ए से बी रास्ता मौके पर सही है। बरंग हरा दर्शाया गया रास्ता राजस्व रेकर्ड के अनुसार सबसे कम दूरी का है, मगर मौके पर ऊंचा धोरा होने से चलने योग्य नहीं है जो सरासर किया गया है, जबकि उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी द्वारा एकपक्षीय रूप से तैयार कर भेजी गई जो एकपक्षीय रूप से पक्षपात पूर्ण तरीके से तैयार की गई है, के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हल्का पटवारी ने उत्तरदाता संख्या 1 से 21 के दबाव व प्रभाव में रहते हुऐ गलत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। दूसरे विकल्प का रास्ता कम दूरी है तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई धोरा नहीं है तथा दूसरे विकल्प से आसानी वाहन आ जा सकते है तथा यह वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 349 वालों को न्यूनतम दूरी का निकटतम तथा निर्विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी

है और यह रास्ता वहां बसे अन्य ढाणियों के लोगों को लिये भी उपयोगी है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने मात्र उत्तदातागण संख्या 1 से 21 के दबाव में गलत टिप्पणी अंकित की गई है। उतरदाता संख्या 1 से 21 के खेत खसरा नम्बर 349 के पास सरकारी जमीन अवस्थित है, जहां से आसानी से रास्ता निकाला जा सकता है, परन्तु उतरदाता संख्या 1 से 21 द्वारा जानबुझ कर सरकारी भूमि से रास्ता नहीं चाह कर अपीलान्टगण को सआशय नुकसान पहुंचाने के लिये कम दूरी के विकल्प को छोड़ते हुये उससे दुगुनी दूरी से रास्ता चाहा गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है। दूसरे विकल्प के रास्ते के पास ही सरकारी ट्यूबवैल आई हुई है, जहां से पूरे गांव की पानी की सप्लाई होती है तथा लोग ट्यूबवैल से पानी लाने के लिये भी दिन भर जाते रहते है, जिस कारण मौका रिपोर्ट के दूसरे विकल्प से रास्ता निकालने से उतरदातागण के साथ साथ गांव के अन्य लोगों को भी रास्ते की सुविधा प्राप्त होगी तथा अपीलान्ट्स की अधिक कृषि भूमि भी रास्ते के रूप में खराब नहीं होगी। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ भी प्रस्तुत की गई, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों को दरकिनार करते हुये पुनः मौका रिर्पोट मंगवाने के आवेदन को दिनांक 11.11.2025 को खारिज करते हुये एकपक्षीय मौका रिर्पोट को सही मानते हुये आलोच्य निर्णय पारित किया गया, जिस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई है जो निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने के दौराने ही अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार से अपीलान्टगण को न्याय मिलने की आशा न होने के कारण अपीलान्टगण ने उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय से अन्य न्यायालय में करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश किया गया जो दोनों प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवा दिया गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय उक्त दोनों प्रार्थना पत्र के निर्णय से पूर्व ही आलोच्य आदेश आनन फानन में पारित कर दिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए (1) के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना था, परन्तु उतरदाता संख्या 1 से 21 द्वारा जिस स्थल पर प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, वहां पर से पहले कोई रास्ता ही नहीं है तथा अपीलांट्स की बाड़ व ढाणी, छपरा बना हुई है तथा पहले से रास्ता न होने के कारण उक्त स्थल पर रास्ता नहीं दिया जा सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आंखे मूदकर गलत रूप से रास्ता स्वीकृत कर दिया है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भारी भूल की है। हस्तगत प्रकरण के प्रार्थीगण संख्या 16 समझू पत्नि जसा का प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान निधन हो गया था, जिस पर समझू की कोई फौतगी सूचना व कायम रेकर्ड पर लिये बिना ही मृतक पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि विरुद्ध होने व प्रारम्भ से शुन्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2021 अनवान श्रीधर बनाम भमराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 नंवबर 2025 को निरस्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक, चार, छ व सोलह ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। अपीलांट्स द्वारा बताये गये रास्ते के विकल्प के स्थान पर धोरा है, जहां से आवागमन संभव नहीं होने से कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत सुस्पष्ट, पढनीय एवं सकारण अपीलाधीन पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रेस्पो. संख्या बाईस व तेईस के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 09.06.2025 के अवलोकन मुताबिक प्रार्थीगण/रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। प्रथम विलंब बरंग लाल मार्क ए से बी तथा द्वितीय विकल्प बरंग मार्क सी से डी बताया गया है। दोनो विकल्पों में से बरंग मार्क सी से डी लघुतम एवं निकटतम बताया गया है, किंतु मौके पर उंचा धोरा होने से रास्ते के योग्य नहीं होना बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पक्षकारान् के मौके पर सुगम एवं बाधा रहित आवागमन को देखते हुए बरंग लाल से दर्शाये गये रास्ते मार्क ए से बी को अपीलाधीन आदेश के जरिये कटाणी रास्ता घोषित किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट्स का मुख्य उज्र यह है कि मौके पर रास्ता मार्क सी से डी लघुतम है, किंतु उक्त रास्ते पर धोरा स्थित होने से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत धारा 251 की मंशा के अनुरूप मौके पर उपलब्ध सुगम एवं बाधारहित रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2021 अनवान श्रीधर बनाम भमरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 नंवबर 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर